न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

प्रकरण संख्या 389/18 तारीख रजू 15/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का मोहिड़ा बनाम श्री कैलाश पुत्र कलुवा जाति गुर्जर निवासी सिकन्दरपुर तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 12/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री कैलाश ने ग्राम सिकन्दरपुर को भूमि ख.न. 889/1023 रकबा 0.40 किस्म चरागाह फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 2074 गेहूँ में कास्त कर अतिक्रमण किया है । इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नही आया। उसके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया अतिक्रमी के विरूध्द एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जो मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है। अत : अतिक्रमी के विरूध्द कार्यवाही किया जा उचित है

अत: आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 889/1023 रकबा 0.40 किस्म चरागाह वाके ग्राम सिकन्दरपुर से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 8.00 x 50 गुणा 400 रु. शस्ति से दण्डित किया जाता है । तथा इस पर खडी फसल गेहूँ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)
आ० तहसीलदार महवा

रजिस्टर म/प के पेज नं० 112 पर
वर्ष 2017-18 ... नीलामी
की राशि ... 400 रु. ...
की जमा ...
दिनांक 12/3/18 (हस्ताक्षर) ... लेखाकार
तहसील-महवा